

1. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
नोएडा।
2. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,  
गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद।
3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,  
अलीगढ़ जोन, अलीगढ़।

आप अवगत ही है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को गुणवत्ता पूर्वक शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 24.06.2021 दिन गुरुवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे डेस्कटॉप कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर, महोदया के अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी थी। परन्तु किन्हीं कारणोवश समीक्षा बैठक आहूत नहीं की जा सकी।

वाणिज्य कर विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा दिनांक 01.07.2021 दिन गुरुवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे आप सभी व निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक के साथ डेस्कटॉप कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक आहूत की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं से संबंधित अद्यतन वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट, संक्षिप्त सार सहित बैठक में ससमय प्रतिभाग किया जाना तथा उक्त बैठक से संबंधित सूचना संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0सं0 व दि0-उक्त।

प्रतिलिपि-

1. ज्वाइन्ट कमिश्नर/वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ एवं बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।
2. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।
3. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ को बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, विश्वसरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से कि संबंधित यूनिट को ससमय बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।
5. महाप्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0 एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम, टी0सी0-38 वाँ, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से कि संबंधित यूनिट को ससमय बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।
6. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने एवं उपरोक्त डेस्कटॉप कान्फ्रेंसिंग बैठक हेतु समस्त अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़े जाने की व्यवस्था करने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।